न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 30/2018

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर	बनाम	1. सुशील कुमार पुत्र वंशराज जाति जन निवासी कोठारियो का वास पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (फर्म नानेश प्रोवीजन स्टोर पाटोदी जिला बाड़मेर (सुशील कुमार) का मालिक) 2. महेन्द्र कुमार पालीवाल पुत्र ओमप्रकाश कुम्भारो का वास जसोल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (मैसर्स मदन गोपाल ट्रेडर्स कृषि उपज मण्डी बालोतरा फर्म मालिक) 3. एम.एस.रावत नोमिनी व्यक्ति (मैसर्स बंग इण्डिया प्रा0लि0 7824 जोधपुर डिपो प्लॉट नं0 25 नियर हरी ट्रांसपोर्ट नगर बासनी फेस सैकेण्ड जोधुपर)

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः—1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सम्पतराज बोथरा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक 06.06.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.02.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर के दोपहर 01.00 बजे मैंसर्स नानेश प्रोवीजन स्टोर पाटोदी जिला बाडमेर पहुचंने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम सुशील कुमार पुत्र वंशराज उम्र 50 वर्ष जाति जैन निवासी कोठारियो का वास पाटोदी

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (फर्म मालिक) होना बताया गया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा सामग्री के साथ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड डालडा (500 एमएल) जो कि 20 बोतले एक कार्टून में रखी हुई पाई गई। उक्त रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड डालडा में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता को जरिये रसीद रूपये 180/– नगद अदा कर 500 एम.एल की कुल 4 बोटले खरीदी एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये गये उन पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी. 747 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक आदि विवरण अंकित किया। खरीदे हुए रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड डालडा की चार बोतलो को सीलबन्द किया। प्रत्येक पैकेट पर लेबल चिपकाया जाकर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सीरियल नम्बर पी–747 चिपकाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण लिख कर प्रार्थी व गवाहो ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए अपने–अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। उक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–747 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की सात प्रतियां तैयार की गई। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया था, एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी द्वारा परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड डालडा की नमूना जांच

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर के क्रमांक एलएस/131/एक्ट/2017/135 दिनांक 01.03..2017 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड डालडा का नमूना पी–747 अवमानक (Sub Standard as it gives negative test for Vitamin A) का पाया गया। जॉच में अवमानक (Sub Standard as it gives negative test for Vitamin A) पाये गये खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड डालडा का विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन होना पाये जाने के फलस्वरूप अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये।

3. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाना चाहता है। न्यूनतम जुर्माना करवाते हुए प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया जाए।

4. प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर ने बहस के दौरान् बताया कि दिनांक 18.02.2017 को जांच के दौरान् रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड डालडा में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार लिया गया नमूना पी–747 फूड एनालिस्ट राज. जोधपुर की जॉच रिपोर्ट में जॉच में अवमानक (Sub Standard as it gives negative test for Vitamin A) स्तर का पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/131/एक्ट/2017/135 दिनांक 01.03.2017 का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा बेचा जा रहा खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल ब्राण्ड डालडा का नमूना पी. 747 जॉच में

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अवमानक (Sub Standard as it gives negative test for Vitamin A) स्तर का पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में जॉच में अवमानक (Sub Standard as it gives negative test for Vitamin A) स्तर का खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अभियुक्त सुशील कुमार एवं अन्य प्रत्येक पर रूपये 3000/– अक्षरे तीन–तीन हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 06.06.2018 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0 बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 06.06.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर